सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष, 1943 (श०)

संख्या -13 राँची, गुरूवार, 20 जनवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

6 जनवरी, 2022

संख्या-8/आरोप-06/2014 का०108--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-12555 दिनांक-28.08.2020 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र **(Memo of charges)** उपलब्ध कराया गया ।

2. श्री सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उप समाहर्त्ता के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में सुनियोजित साजिश रच कर अन्य लाभार्थियों से मिलकर भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए अवैध तरीके से अनुशंसा प्राप्त करने के आरोप

में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में निगरानी थाना काण्ड संख्या-19/2005 दिनांक-29.12.2003 एवं विशेष वाद संख्या-30/2005 दर्ज है, जिसमें श्री सिन्हा गैर प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए हैं ।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा समर्पित अरोप पत्र में उल्लेख है कि श्री सिन्हा के पेपर-2 की उत्तर पुस्तिका में 87 बार रबर के प्रयोग किए जाने की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना द्वारा की गयी है। इस प्रकार श्री सिन्हा का बचाव-बयान पूर्णतः संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि परीक्षा के पेपर-2 की उत्तर पुस्तिका में 87 बार रबर का प्रयोग किया जाना संदेह उत्पन्न करता है ।

3. विभागीय पत्रांक-802 दिनांक-05.02.2021 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराते हुए बचाव-बयान समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सिन्हा द्वारा अपना बचाव-बयान दिनांक-19.02.2021 विभाग में समर्पित किया गया ।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित बचाव-बयान से असहमत हेतु हुए उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामाकांत सिंह, सेवानिवृत्त भ०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु श्री लाल हेमन्त नाथ साहदेव, अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 13 -- 50